संख्या-84/2017-3110 ई-2/तेरह-2018-159/2017

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 17 सितम्बर,2018

विषय:-चीनी मिलों पर देय आरक्षित शीरे की मात्रा को संरक्षित रखते हुए अनारक्षित शीरे के सम्भरण की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-114/दस-185(1)/शीरा नीति/2017-18, दिनांक 25 अगस्त,2018 तथा पत्र संख्या-जी-136/दस-185(1)/शीरा नीति/2017-18, दिनांक 13 सितम्बर,2018 तथा इस सम्बन्ध में दि0 15-9-2018 को प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या-3085 ई-2/तेरह-2018-159/2017, दिनांक 15 सितम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों दिनांक 25 अगस्त,2018 तथा 13 सितम्बर,2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा नीति वर्ष 2017-18 के प्रस्तर-3(6)(II) व प्रस्तर-3(6)(III) में किये गये प्राविधानों में दिनांक 31 अक्टूबर,2018 तक के लिए इस शर्त के साथ शिथिलता प्रदान करने की अनुमति दी जाती है कि सम्बन्धित चीनी मिलें अपनी देय आरक्षित शीरे की मात्रा को संरक्षित रखते हुए अनारक्षित श्रेणी के शीरे का सम्भरण शीरा नीति के अन्य उपबन्धों के अधीन कर सकेंगी।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in